

04.1.23 पत्रावली हलकी प्रथमा पत्र पर पेश हुई ।
 वादीगण ने शर्जीनामा होने का कथन कर दावा
 नम्बर 53, 188, 88, विद्वा करने का
 व आगे नदी खनाने का प्रथमा पत्र पेश कर
 निवेदन किया कि विद्वा आवेदन इबारत पढ़कर
 वादीगण को पढ़कर सुनार गई । सुन सफसर
 अस्वीकार किया, सुना गया । वादीगण की
 पदचाल अधिवक्ता श्री जानाराम धुनिया ने
 की पत्रावली का अध्ययन व अपलोकेन किया ।

अतः वादीगण का दावा जरिए विद्वा
 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।
 पत्रावली में कोई सार्थवादी शेष नहीं होने
 से नम्बर से सुन होकर दारिखत हफ्तर हो ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

सहायक कलेक्टर, सांघर
 (अपक्रण्ड अधिकारी, सांघर)

